फार्मासिस्ट भर्ती : बी. फार्मा वाले भी अब भर सकेंगे आवेदन फार्म

- डिप्लोमा धारकों को पात्र मानने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई
- हाई कोर्ट का अहम अंतरिम आदेश से डिग्रीधारियों को राहत

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने फार्मासिस्ट (ग्रेड-2) पदों की भर्ती प्रक्रिया में बी.फार्मा डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को आवेदन से वंचित किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर अहम अंतरिम फैसला सुनाया है। न्यायालय की युगलपीठ ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को राहत देते हुए राज्य शासन और सीजी व्यापम को निर्देशित किया है कि बी.फार्मा डिग्रीधारी इच्छुक अभ्यर्थियों को भी आवेदन का अवसर दिया जाए।

हाई कोर्ट ने यह दिए निर्देश:

याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति विभु दत्त गुरु की खंडपीठ ने कहा कि चूंकि आवेदन की अंतिम तिथि 25 जुलाई 2025 शाम 5 बजे तक है, ऐसे में राज्य शासन तत्काल सीजी व्यापम को आवश्यक निर्देश जारी करे, ताकि बी.फार्मा डिग्रीधारी भी पोर्टल पर आवेदन कर सकें। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश व्यक्तिगत न होकर सार्वभौमिक रूप से सभी पात्र बी.फार्मा डिग्रीधारी अभ्यर्थियों पर लागू होगा, जो विज्ञापन में उल्लिखित अन्य सभी शर्तें पूरी करते हैं।

राज्य को पोर्टल परिवर्तन और सूचना देने के निर्देश

कोर्ट ने राज्य शासन को निर्देशित किया कि वह इस आदेश की जानकारी सीजी व्यापम सहित सभी संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाए और पोर्टल में आवश्यक परिवर्तन कर इसका प्रचार-प्रसार करे, ताकि कोई भी योग्य अभ्यर्थी आवेदन से वंचित न हो।

यह है मामला

स्वास्थ्य सेवाएं संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 30 जून 2025 को फार्मासिस्ट ग्रेड-2 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इस विज्ञापन में केवल डिप्लोमा इन फार्मेसी (डी. फार्मा) धारकों को ही पात्र माना गया था, जबकि बैचलर आफ फार्मेसी (बी फार्मा) अथवा उससे उच्च डिग्री धारकों, जो फार्मेसी काउंसिल में विधिवत पंजीकृत हैं, उनको आवेदन से बाहर रखा गया था।

याचिकाकर्ताओं ने की आपत्ति

इस वर्गीकरण को चुनौती देते हुए राहुल वर्मा एवं अन्य याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में रिट याचिका क्रमांक 8548/2025 दायर की। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने दलील दी कि उच्च डिग्रीधारियों को अयोग्य ठहराना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और यह स्पष्ट रूप से मनमाना निर्णय है।